यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर पौड़ी गढ़वाल के माह 05/2015 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, व श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार जयन्त, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 24.09.2018 से 28.09.2018 तक श्री प्रेम चन्द, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राम सनेही एवं श्री एस.के.सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अभिनव सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12.05.2016 से 14.05.2016 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2012 से 04/2015 तक लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2015 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- कीर्तिनगर।

(ii)(अ) विगत पांच वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	371.39	371.39	11.97	11.97	-	-
2016-17	-	-	358.40	358.40	13.90	13.90	-	-
2017-18	-	-	445.74	445.74	24.23	24.23	-	-
2018-19(08/18)	-	-	466.13	222.78	17.47	07.12	-	-

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण हैः- शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **'सी'** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
रजिस्ट्रार कानूनगो
पेशकार
नायब नाजिर
राजस्व/अहलमद/वरिष्ठ सहायक
फौजदारी अहलमद/कनिष्ठ सहायक
राजस्व लेखाकार
राजस्व निरिक्षक
राजस्व उप निरीक्षक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर, पौड़ी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर, पौड़ी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 11/2016, एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

प्रस्तरः1- ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 7.15 लाख के राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा मार्च 2015 के प्रस्तर 2 के अनुसार ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर निर्गत कम्पयूटरीकत प्रमाण पत्रों एवं अन्य सेवाओ के लिए शुल्क रू 30 का निर्धारण किया गया है।

कार्यालय के ई- डिस्ट्रिक्ट परियोजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि कार्यालय उप जिला अधिकारी कीर्तिनगर एवं तहसील देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत 11/2016 से दिनांक 08/2018 तक ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत तहसील कीर्तिनगर एवं देवप्रयाग में क्रमशः 9428 एवं 36377 प्रमाण पत्रो हेतु आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से तहसील स्तर से 1943 एवं 6875 आवेदन प्राप्त किये गये। उनसे प्रति प्रमाण पत्र रू 30 की दर से शुल्क रू 58290 एवं रू 206250 प्राप्त किया गया। लेकिन जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 7485 एवं 29502 प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन प्राप्त हुए। उनसे केवल 10.68 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 79990 एवं 315081 प्राप्त किये गये। जबकि जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 30 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 224550 एवं 885060 शुल्क लिया जाना चाहिए, लेकिन जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 19.32 प्रति लाभार्थी प्रमाण पत्र की दर से 144610 एवं 569979 कुल रू 714589 कम शुल्क शासकीय खाते में जमा किया गया था। जिसके कारण विभाग को रू 7.15 लाख की राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है जन सुविधा केन्द्रों का निर्धारण शासन स्तर से किया जाता है कम शुल्क लिये जाने से शासकीय हानि के सम्बंध में जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी। इकाई का उत्तर मान्य नही है, क्योंकि शासनादेश मार्च 2015 के प्रस्तर 2 में शुल्क का निर्धारण किये जाने के बाद भी कामन सर्विस सेन्टरों से कम शुल्क लिया जाना शासनादेश का स्पष्ट उल्लंगन था।

अतः ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 7.15 लाख के राजस्व की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः1- अर्जित ब्याज व अनविज्ञ मदों की धनराशि रू 15.75 लाख विगत कई वर्षों से बैंक खातों में अवरूद्ध रखना।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर, के अन्तर्गत तहसील देवप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायें गये बैंक खातों से सम्बंधित सूचनाओं तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अवलोकन में पाया गया है कि तहसील द्वारा विभिन्न केन्द्र, राज्य योजनाओं तथा अन्य के संचालन हेतु भारतीय स्टेट बैंक, भगवानपुर साहब, देवप्रयाग में बैंक खाता संख्या-11801787052 का संचालन किया जा रहा है। उक्त बैंक खाता तहसीलदार, देवप्रयाग के पदनाम से है 29 सितम्बर, 2018 को, उक्त खाता में रू 109.17 लाख की धनराशि जमा थी। उक्त खाते में कुल जमा धनराशि में से रू 94.17 लाख विज्ञ मदों की धनराशि थी। जिसका भुगतान लेखापरीक्षा तिथि तक लम्बित था तथा शेष धनराशि रू 15.75 लाख विगत कई वर्षों से अर्जित ब्याज व अनविज्ञ मदों की अवरूद्ध पड़ी थी। जिसके सम्बंध में सम्बंधित तहसील द्वारा उच्चाधिकारी से पत्राचार करके निस्तारण किया जाना चाहिए थी। जो लेखापरीक्षा की तिथि तक नही किया गया थी।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया प्रश्नगत खाते में अवरूद्ध धनराशि के सम्बंध में कार्यालय के समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर, उच्च अधिकारियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार निस्तारण किया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तरः2-</u> अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित सरकारी आवास के एच0आर0ए0 रू 0.89 लाख की कटौती न किया जाना।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल के वेतन बिल पंजिका एवं आवासीय आवंटन पत्रावलियों की जांच में पाया गया है कि अद्धोलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को कीर्तिनगर में आवंटित राजकीय आवासों के एच0आर0ए0 की धनराशि रू 1.05 लाख की कटौती सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी से नहीं की गयी थी विवरण निम्नवत है-

क्र.सं	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	अवधि		माग*एच0आर0ए0 के कटौती धनराशि	कुल लम्बित धनराशि
			कब से	कब तक		
1.	श्री विजय लाल खत्री	आर0ए0	05/2016	08/2018	28*1120	31360
2.	श्री मथुरा प्रसाद पुरी	अर्दली	05/2016	08/2018	28*960	26880
3.	श्री डब्बल सिंह	अनुसेवक	10/2016	08/2018	23*720	16560
4.	श्री भगत सिंह पंवार	प्रो0स0	01/2017	08/2018	20*720	14400
योग						89200

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रत्युत्तर में बताया है कि सम्बंधित कर्मचारियों से एच0आर0ए0 की नियमित कटौती की जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः1-</u> मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत व्यय धनराशि रू 42.92 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रेषण न किया जाना।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर पौड़ी-गढ़वाल के मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से सम्बंधित पंजिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि तहसील कीर्तिनगर को वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 तक जिलाधिकारी से कुल रू 44.07 लाख की धनराशि उक्त कोष के अन्तर्गत प्राप्त हुयी थी। कुल प्राप्त धनराशि के सापेक्ष तहसील द्वारा रू 42.92 लाख का व्यय किया गया था। शेष धनराशि रू 1.15 लाख जिलाधिकारी को वापस की गयी थी। उक्त व्यय की गई धनराशि में से रू 42.92 लाख के उपभोग प्रमाण-पत्र या सम्बंधित पत्रावलियों तहसील स्तर पर उपलब्ध नहीं थी।

संदर्भित वित्तीय वर्षों में तहसील कीर्तिनगर द्वारा व्यय की गयी कुल धनराशि रू 42.92 लाख से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का व्ययोंपरान्त जिलाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने चाहिए था। जो लेखापरीक्षा तिथि तक तहसील द्वारा प्रेषित नही किये गये थे। तहसील कीर्तिनगर व देवप्रयाग के प्रश्नगत कोष से सम्बंधित पंजिकाओं के अवलोकन में पाया गया है कि उक्त दोनों तहसीलों की पंजिकाओं में वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेखापरीक्षा तिथि तक मासिक लेखाबन्दी नही की गयी थी तथा पंजिकाओ को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं करवाया गया था। पंजिका से यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कितनी धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र प्रेषण हेतु लम्बित थी।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रत्युत्तर में बताया हब कि लेखापरीक्षा तिथि तक जिलाधिकारी कार्यालय को मासिक व्यय विवरण प्रेषित किये गये था तथा भविष्य में उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध/प्रेषित कर दिये जायेगे।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः2-</u> दैवीय आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत व्यय धनराशि रू 42.93 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रेषण शासन न किया जाना।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत तहसीलों द्वारा दैवीय आपदा मोचन निधि से सम्बंधित उपलब्ध करायी गयी सूचनाओ के अवलोकन में तथा सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि तहसील कीर्तिनगर को उक्त निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में, रू 8.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराये गये थे। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रू 6.68 लाख का तहसील द्वारा व्यय किया गया थी। शेष धनराशि रू 0.82 लाख शासन को वित्तीय वर्ष के अन्त में वापस किया गया थी। इसी क्रम में तहसील देवप्रयाग को उक्त निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016 से 2017-18 तक जिलाधिकारी द्वारा रू 52.07 लाख उपलब्ध कराये गये थे। उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष तहसील द्वारा रू 35.71 लाख का व्यय किया गया था अर्थात दोनो तहसीलों द्वारा रू 42.39 लाख उक्त निधि के अन्तर्गत व्यय किया गया थी।

संदर्भित वित्तीय वर्षों में तहसील कीर्तिनगर एवं देवप्रयाग द्वारा व्यय की गयी कुल धनराशि रू 42.39 लाख से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने चाहिए थे, जो लेखापरीक्षा तिथि तक तहसील द्वारा प्रेषित नहीं किये गये थे।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रत्युत्तर में बताया है कि लेखापरीक्षा तिथि तक जिलाधिकारी, कार्यालय को मासिक व्यय विवरण प्रेषित किये गये थे तथा भविष्य में उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध/प्रेषित कर दिये जायेगे।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
317/11/97/3/1997	शून्	1	00

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
317/11/97/3/1997	भाग दो ब प्रस्तर-1 वर्ष 1194 में इमारती लकड़ी की बोली की गयी थी। जिसकी व्यापार कर की धनराशि रू 14854/- को राजकोष में जमा न किया जाना।	प्रशनगत ब्रिकी कर की धनराशि रू 14854/- का दिनांक 15.02.2000 को चालान के माध्यम से राजकोष में जमा किया गया है अतः आपत्ति को निस्तारित करने का कष्ट करें।	संदर्भित आपत्ति में उल्लेखित बिक्रीकर की धनराशि रू 14854/- का चालान के माध्यम से राजकोष में जमा किया गया है अतः संलग्न साक्ष्यों के आधार पर उक्त आपत्ति को निस्तारित करने की संस्तुति की जाती है।	आपत्ति निस्तारित की गयी है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर, पौड़ी गढ़वाल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमितायेः- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	15.10.2013	21.07.2016
2	श्री चतर सिंह चौहान	उपजिलाधिकारी	21.07.2016	31.07.2016
3.	श्री कृष्ण कुमार मिश्रा	उपजिलाधिकारी	01.08.2016	09.10.2016
4.	श्री लक्ष्मीराज चौहान	उपजिलाधिकारी	10.10.2016	16.12.2016
5.	श्री नुपुर वर्मा	उपजिलाधिकारी	17.12.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर, पौड़ी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र